पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)
टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः– प–10 ( )संस्थापन/प्रबंध बोर्ड/2013–14/2045 दिनांकः–19.10.2015
19.11.2015

प्रबंध मण्डल की तृतीय बैठक दिनांक 15.10.2015 का संशोधित कार्यवृत

दिनांक 15.10.2015 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की तृतीय बैठक जिलाधीश कॉन्फ्रेंस हॉल में दोपहर 02:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहें –

1.	डॉ. विमलेश चौधरी	अध्यक्ष (माननीया कुलपति)
2.	श्री गोरधन वर्मा	मा. सदस्य (मा. विधायक, धोद)
3.	श्री बंशीधर खण्डेला	मा. सदस्य (मा. विधायक, खण्डेला)
4.	प्रो. सी.बी. गेना	मा. सदस्य (प्रख्यात शिक्षाविद)
5.	डॉ. धर्मचंद जैन	मा. सदस्य (प्रख्यात शिक्षाविद)
6.	प्रो. बाबूलाल जांगिड़	मा. सदस्य
7.	डॉ. नगेन्द्र सिंह नाथावत	मा. सदस्य
8.	प्रो. एच. आर. ईसरान	मा. सदस्य
9.	प्रो. एम. जेड. कुरेशी	मा. सदस्य
10.	श्री कैलाश चंद सांखला	वित्त नियंत्रक (विशेष आमंत्रित सदस्य)
11.	डॉ. शमसुद्दीन खान	सदस्य सचिव (कुलसचिव)

सर्वप्रथम मा. कुलपति महोदया द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

1. गत प्रबंध मण्डल की बैठक में डेफर किये गये एजेण्डा नं. 03 पर विचार विमर्श–
गत प्रबंध मण्डल की बैठक में डेफर किये गये एजेण्डा नं. 03 को पुनः वित्त समिति की मिटिंग लम्बित होने के कारण अगली प्रबंध मण्डल (BoM) की मिटिंग हेतु डैफर किया गया।

2. प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 18.06.2015 के कार्यवृत का अनुमोदन–
एजेण्डा आईटम नं. 2

i. मा. सदस्य प्रो. सी.बी. गैना ने सुझाव दिया कि Logo न कहकर इसे विश्वविद्यालय की सार्वमुद्रा (Common Seal) कहना उचित होगा। यह केवल हिन्दी में बनाया गया है, जबकि इसे अंग्रेजी में भी बनवाया जावे। इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया।

ii. अशैक्षणिक कर्मचारियों के नियमित भर्ती नहीं होने तक प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 18.06.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार निजी मैन पावर एजेन्सी से

कार्मिक नहीं लिये जावें। इस बिन्दु पर मा. कुलपति महोदया ने बताया कि कुलसचिव द्वारा निजी एजेन्सी से की गई संविदा 31.03.2016 के लिए थी। दिनांक 18.06.2015 को प्रबंध बोर्ड की बैठक के दौरान यह बिन्दु रिकार्ड संबंधी होने के कारण ध्यान में नहीं आ पाया। इस पर माननीय सदस्य श्री सी.बी.गैना ने आश्चर्य व्यक्त किया कि सदस्य सचिव ने गत मिटिंग में सदन को क्यों नहीं अवगत करवाया। इस प्रकरण पर यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 15.10.2015 के बाद निजी एजेन्सी से कार्मिक नहीं लिये जावें, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति प्रकट की। इस पर कुलसचिव ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–14 (5)शिक्षा–4/2012 पार्ट दिनांक 01.06.2015 के बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि वाहन चालक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों को REXCO/Home Guard/Retired Personnel से ही संविदा के आधार पर भरे जायें, जिस पर वित्त विभाग की आईडी संख्या 101502071 दिनांक 28.05.2015 का हवाला दिया गया है।

मा. कुलपति महोदया ने बताया कि कार्य के वेरीफिकेशन के आधार पर Private Placement Agency से रखे गये कार्मिकों का भुगतान करने की स्वीकृति अपेक्षित है, जिस पर सदन ने सहमति व्यक्त की। मा. कुलपति महोदया ने सदन को अवगत करवाया कि मुझे कार्य समय के अतिरिक्त भी वाहन चालक की जरूरत पड़ती है, तो क्या विकल्प है? इस पर मा. सदस्यों ने सुझाव दिया कि वे कार्यालय समय के अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर कार्यालय समय में प्रयुक्त वाहन चालक रख सकती हैं, जिसका भुगतान नियमानुसार किया जावे।

पालना बिन्दु संख्या 05 के क्रम में परीक्षा संचालन हेतु डाईट छात्रावास भवन के लिए कुलपति/कुलसचिव स्तर से प्रयास किये गये, परिणाम अपेक्षित हैं। इस पर सदन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मा. कुलपति महोदया एवं मा. विधायक श्री बंशीधर खण्डेला मा. शिक्षा मंत्री जी (देवनानी जी) से मुलाकात कर और प्रयास करेंगे।

गत प्रबंध मण्डल बैठक दिनांक 18.06.2015 के एजेण्डा आईटम नं. 03 ऑडिट नहीं होने एवं वित्त समिति की बैठक लम्बित होने के कारण पुनः अगली बैठक के लिए डैफर किया गया। साथ ही वित्त नियंत्रक द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, कलेक्ट्रेट सीकर को अधिकृत किया।

एजेण्डा आईटम नं. 14– बी. एड. महाविद्यालयों की सम्बद्धता के क्रम में मा. विधायक श्री गोरधन वर्मा ने कहा कि निरीक्षण रिपोर्ट पर निरीक्षण दल के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कुलसचिव ने अवगत कराया कि निरीक्षण दल के संयोजक डॉ. जी. एस. कलवानियां के हस्ताक्षर निरीक्षण रिपोर्ट पर नहीं हैं, इस पर सदन ने निर्णय लिया कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए इन महाविद्यालयों को दी गई सम्बद्धता के लिए किये गये कार्य की अनुमति दी जाती है, लेकिन भविष्य में यह ध्यान रखा जावे कि निरीक्षण रिपोर्ट पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों। जिन अकादमिक महाविद्यालयों का निरीक्षण हो चुका है, उनके निरीक्षण रिपोर्ट के लिफाफे निरीक्षण मण्डल द्वारा तुरन्त खोले जावें व आगे की कार्यवाही की जावे। सम्बद्धता दिये गये बी. एड. महाविद्यालयों के भौतिक निरीक्षण के लिये तुरन्त निरीक्षण दलों का गठन किया जावे, निरीक्षण दल अपनी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ विडियोग्राफी की सी.डी. एवं महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं तथा संकाय सदस्यों के फोटो भी प्रस्तुत करें। **निरीक्षण दल में दो सदस्य राज्य के किसी भी राजकीय बी. एड. महाविद्यालय से, जिनको 15 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो तथा एक सदस्य सामान्य राजकीय महाविद्यालय से लिया जावे।** निरीक्षण रिपोर्ट में यह शर्त रखी जावे कि संकाय सदस्यों की योग्यता के मूल दस्तावेज अवश्य लिये जावें। साथ ही संकाय

सदस्यों के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति भी प्राप्त की जावें। भौतिक सत्यापन के समय यदि बी. एड. महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेज नहीं दिये जाते हैं, तो यह विषय निरीक्षण मण्डल के समक्ष रखा जावे। ऐसे महाविद्यालयों को एक माह का समय दिया जाकर मूल दस्तावेज प्राप्त किये जावें, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उनकी संबद्धता अगले सत्र के लिए समाप्त की जावे।

मा. सदस्य प्रो. सी.बी. गैना ने सुझाव दिया कि निरीक्षण दल में कोई भी लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

3. परीक्षा संबंधी Out-Sourcing कार्य प्रणाली की गोपनियता पर विचार–विमर्श–

वित्त नियंत्रक ने सदन को अवगत कराया कि परीक्षा संबंधी कार्यों को ऑनलाईन करवाने हेतु Out-Sourcing के लिए टेण्डर प्रकाशित किये जाने का कार्य प्रगति पर है तथा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा कार्य की गोपनीयता का पूरा–पूरा ध्यान रखने का आश्वासन सदन को दिया गया। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिये गये हैं। मा. सदस्य प्रो. सी.बी. गैना ने सुझाव दिया कि गोपनीय शाखा और परीक्षा नियंत्रक के कक्ष में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाये जावें।

4. विद्या परिषद् का गठन (Academic Council) एवं उसकी प्रथम बैठक के कार्यवृत का अनुमोदन –

विद्या परिषद का गठन व उसकी प्रथम बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन सदन द्वारा किया गया। दिनांक 14.10.2015 को प्रातः 11 बजे विद्या परिषद की द्वितीय बैठक में EPMC का गठन निम्नानुसार किया गया, जिसका सदन द्वारा अनुमोदन किया गया–

1. डॉ. रतन लाल मिश्रा, संयोजक
2. प्रो. एच. आर. ईसरान, सदस्य
3. प्रो. बाबूलाल जांगिड़, सदस्य
4. प्रो. एम. जेड. कुरेशी, सदस्य
5. डॉ. दिलसुख थालौड़, सदस्य
6. डॉ. मदन सिंह पूनियां, सदस्य सचिव

5. अध्ययन मण्डल (BoS) व निरीक्षण मण्डल (BoI) के गठन तथा इनमें लिये गये निर्णयों का अनुमोदन–

जिन विषयों के लिए परिपूर्ण अध्ययन मण्डल का गठन हो चुका है, का सदन द्वारा अनुमोदन किया गया। जिन विषयों के अध्ययन मण्डल में आंतरिक सदस्य उपलब्ध नहीं हैं, के संबंध प्रो. धर्मचंद जैन ने सुझाव दिया कि क्षेत्राधिकार से बाहर के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में आंतरिक सदस्य लिये जा सकते हैं। जो पाठ्यक्रम तीन वर्षीय हैं, के लिए अध्ययन मण्डल का गठन कर लिया जावे, परन्तु अपवाद स्वरूप पर्यावरण विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान तथा M.Sc. (IT) के लिए Committee of Courses का गठन कर लिया जावे तथा इससे कम अवधि के पाठ्यक्रम के लिए Committee of Courses का गठन कर लिया जावे। BBA के लिए अलग से अध्ययन मण्डल

का गठन नहीं करके इसे व्यावसायिक प्रशासन विषय से जोड़ दिया जावे। अध्ययन मण्डल की मिटिंग अतिशीघ्र बुलायी जावे। मा. सदस्य डॉ. धर्मचंद जैन ने बताया कि सभी व्याख्याताओं के बायोडाटा मंगवा लिये जावें।

निरीक्षण मण्डल के गठन एवं निरीक्षण मण्डल की बैठक की कार्यवृत का अनुमोदन सदन द्वारा किया गया।

6. निरीक्षण मण्डल द्वारा B.Ed., M.Ed. व अकादमिक महाविद्यालयों की निरीक्षण रिपोर्ट की अनुशंषा पर जारी सम्बद्धता का अनुमोदन–

आगामी बैठक के लिए डेफर कर दिया गया।

7. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से "स्थाई सम्बद्धता प्राप्त" महाविद्यालयों की सम्बद्धता का अनुमोदन–

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से "स्थाई सम्बद्धता प्राप्त" महाविद्यालयों से रिकॉर्ड मंगवा लिया जावे और उनका सम्बद्धता प्रदान कर दी जावे।

8. विश्वविद्यालय परीक्षा कार्य हेतु प्रश्न पत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन, केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, सहायक केन्द्राधीक्षक, केन्द्र पर्यवेक्षक, वीक्षक, मंत्रालयिक कर्मचारी, सहायक कर्मचारी आदि के मानदेय का निर्धारण व ओवर टाईम/मानदेय देने की व्यवस्था का प्रस्ताव–

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक प.02 (01)मगसिंविबी/परीक्षा/गोपनीय/2015/17640 दिनांक 14.08.2015 के आदेश में उल्लेखित पारिश्रमिक दरें जिनका विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके अनुमोदन किया गया है, को यथावत सदन द्वारा अनुमोदित किया गया।

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के ही पत्र क्रमांक F.02 ( )MGSUB /Secy./2012/13970 दिनांक 31.07.2012 का पत्र जो विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके अनुमोदन किया गया है को स्वीकार कर अनुमोदित किया गया एवं नवीन दरों का पत्र मंगवा लिया जावे तथा उनको अनुमोदित माना जावे।

9. विश्वविद्यालय परीक्षा, 2016 के लिए क्षेत्राधिकार में अवस्थित परीक्षा केन्द्र महाविद्यालयों में परीक्षा सामग्री, प्रश्नपत्र पहुंचाना तथा विद्यार्थियों की उत्त पुस्तिकाओं को परीक्षा केन्द्र से विश्वविद्यालय परीक्षा सैलर तक लाने के लिए वाहनों की आवश्यकता हेतु प्रस्ताव–

आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के नियमानुसार वाहनों को अनुबंध पर सक्षम स्तर की अनुमति उपरान्त लिये जाने पर सहमति व्यक्त की।

10. परीक्षा, 2016 के लिए कार्मिकों की आवश्यकता होने पर महाविद्यालय के सेवारत शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति से लेने का प्रस्ताव–

सरकारी महाविद्यालयों से कोई भी 20 व्याख्याता प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने हेतु विश्वविद्यालय की ओर से आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को पत्र लिखा जावे। प्रो.

ईसरान जी ने सुझाव दिया कि प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा को मा. कुलपति द्वारा पत्र लिखा जावे।

11. विश्वविद्यालय में सत्र 2015–16 की परीक्षा आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित समयावधि के लिए कार्मिक (फिक्स वेतन पर) लेने हेतु प्रस्ताव–

विश्वविद्यालय में 53 कार्मिकों के पद स्वीकृत हैं, जब तक इन पदों पर नियमित भर्ती नहीं हो जाती है, तब तक REXCO/Home Guard/Retired Personnel से संविदा पर कार्मिक नियुक्त कर लिये जावे।

परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा संबंधी कार्य नियमानुसार Out-Sourcing से करवा लिये जावें।

12. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों की खेलकूद गतिविधियों पर निर्णय लेना–

भारतीय विश्वविद्यालय संघ को वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. 50000/– भिजवाये जावें। खेलकूद गतिविधियों को संचालित करने हेतु स्पोर्टस बोर्ड का गठन सदन द्वारा निम्नानुसार किया गया–

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के Ordinance 341 (1) के अनुसार श्री गोरधन वर्मा, मा. विधायक को स्पोर्टस बोर्ड का अध्यक्ष (Chairman) नियुक्त किया गया।

Ordinance 341 (2) लागू नहीं है।

Ordinance 341 (3) पदेन।

Ordinance 341 (4) डॉ. आर. के. ढ़ाका, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक, एस एन के पी राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना, डॉ. रामेश्वर लाल मीणा, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक, श्रीमती कमला मोदी राजकीय महिला महाविद्यालय, नीमकाथाना को सदस्य नियुक्त किया गया। बी. एड. महाविद्यालयों में कोई भी शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं है और विश्वविद्यालय अध्यापन शाखा से भी कोई शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं है।

Ordinance 341 (5) डॉ. सम्पत शर्मा, प्राचार्य, श्री कृष्णा सत्संग महिला महाविद्यालय, सीकर को सदस्य नियुक्त किया गया।

Ordinance 341 (6) डॉ. जे. के. सैनी, प्राचार्य, एस एन के पी राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना को सदस्य नियुक्त किया गया।

Ordinance 341 (7) व (8) लागू नहीं है।

सर्वसम्मति से मा. विधायक श्री गोरधन वर्मा को स्पोर्टस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा डॉ. आर. के. ढ़ाका को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया। सदन ने सुझाव दिया कि खेल कूद गतिविधियां अतिशीघ्र संपन्न करवाई जावें।

13. विश्वविद्यालय के दैनिक कार्य दिवस का समय एवं अवकाश निर्धारण हेतु कलेण्डर का अनुमोदन–

सदन द्वारा विश्वविद्यालय के अवकाश कलेण्डर का अनुमोदन किया गया।

14. अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य एजेण्डा बिन्दु– Nil

कुलपति द्वारा मा. सदस्यों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव